

सं0सं0-7/विविध-25-01/18- 11 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार/सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बिहार।
प्राचार्य, राजकीय तिब्बी पटना/राजकीय होमियोपथी कॉलेज, मुजफ्फरपुर।
अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0/निदेशक, आई0जी0आई0सी0/
निदेशक, एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू0, शेखपुरा, पटना।
निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।
निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना /निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल
परिसर, कंकड़बाग, पटना/निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना।
निदेशक आयुर्वेद (DDO) आयुष निदेशालय, बिहार, पटना
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी सिविल सर्जन, बिहार।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला देशी चिकित्सा पदा0, बिहार।
अधीक्षक, सभी सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल/उपाधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।
उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय औषधालय।
सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी/सहायक निदेशक
फायलेरिया, बिहार, पटना/अपर निदेशक-सह-नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया/कुष्ठ एवं
यक्ष्मा/सभी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी/निदेशक, टी0बी0डी0सी0, पटना/दरभंगा।
सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, बिहार/अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्प0, बेतिया।
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया/अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्प0, गया।
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना/अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल,
पटना/गया/अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रा0स्वा0केन्द्र/सभी रेफरल अस्पताल।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना।
प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, पटना/
उपाधीक्षक, दस शैय्यायुक्त होमियोपैथी अस्पताल, पटना

पटना, दिनांक- 09 / 05 / 2019

विषय:- CFMS प्रणाली के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का वेतन भुगतान के संबंध में।
महाशय/महाशया,


विभागीय विभिन्न पत्रांकों यथा-157(7) दि0-28.02.19, 162(7) दि0-08.03.
19, 164(7) दि0-18.03.19, 166(7) दिनांक-20.03.19, 174(7) दिनांक-29.03.19 एवं 01(7)
दिनांक-03.04.19 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में CFMS के माध्यम से वेतन भुगतान के
संबंध में समय-समय पर समुचित दिशा-निदेश सभी कार्यालय प्रधान को दिया गया है।
दिनांक 06.05.2019 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वार माह मार्च, 2019 के वेतन की
निकासी की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों में से मात्र

03 (तीन) प्रतिशत कर्मियों का माह मार्च, 2019 के वेतन की निकासी की गई है । यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है । इसी क्रम में प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यालयों के maker, checker एवं approver की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि मात्र 25 प्रतिशत कार्यालयों में कर्मियों का data update किया गया है । यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है ।

2- यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा इस आधार पर वेतन की निकासी नहीं की गई है कि data upload करने के लिए नेटवर्क की गति काफी कम है । इस दिशा में यह सुझाव/निदेश दिया जाता है कि संबंधित कार्यालय के DDO, maker, checker एवं approver प्रातःकालीन अथवा देर सायंकालीन अवधि में data updation का कार्य आसानी से कर सकते हैं ।

3- अनुरोध है कि विषय के महत्व को देखते हुए अगले तीन से चार दिनों के अन्दर अपने अधीनस्थ कर्मियों का data update करते हुए माह मार्च, 2019 के वेतन की निकासी करना सुनिश्चित करें, अन्यथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।

विश्वासभाजन,


(संजय कुमार)